

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर।

क्रमांक : F26(4)/QI/T&C/ICDS/09/

जयपुर दिनांक :

उपनिदेशक (बाल विकास)
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
समस्त।

विषय:- नवचयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के क्रम में।

निदेशालय के पर्व पत्र क्रमांक 9678-9710 दिनांक 15.02.2010 व 12132-164 दिनांक 24.02.2010 के द्वारा यह सूचित किया गया था कि नवचयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 8 दिवसीय प्रारम्भिक प्रशिक्षण दिये जाने के लिए आपके यहां से 2 अनुमती और निष्णात पर्यवेक्षक तथा 2 गैर सरकारी संगठन के व्यक्ति कुल चार। यदि गैर सरकारी संगठन के व्यक्ति नहीं मिले तो 4 पर्यवेक्षकों को दिनांक 3 से 6 मार्च, 2010 को सनादय धर्मशाला, टोंक में आवश्यक रूप से भिजवाए। यह सभी दिनांक 02 मार्च, 2010 को सांयकाल तक सनादय धर्मशाला, टोंक में पहुंच जाए।

कृपया इसे सुनिश्चित करें कि यह प्रशिक्षक नवचयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 8 दिवसीय प्रशिक्षण देंगे और उन्हें प्रशिक्षण के दौरान 250/-रुपए प्रतिदिन से मानदेय देय होगा। अतः कृपया आवश्यक रूप से 4 अच्छी पर्यवेक्षक / गैर सरकारी संगठन के व्यक्ति सनादय धर्मशाला टोंक में भिजवाए।


निदेशक


समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

जयपुर दिनांक : 26-2-2010

क्रमांक : F26(4)/QI/T&C/ICDS/09/ SP-2

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सहायक, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, मुख्यालय।
2. प्रोग्रामर, समेकित बाल विकास सेवाएँ, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर डालने हेतु।


सहायक निदेशक (प्रशिक्षण)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर